राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(44)नविवि/3/2009 पार्ट-II   जयपुर दिनांक 20 APR 2017

आदेश

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.05.2016 के साथ संलग्न अनुसूची के क्रम संख्या 6 पर फ्यूल स्टेशन As per MoRTH Norms, Highway Development Control Area मे अनुज्ञेय है। अनुसूची की टिप्पणी के अनुसार हाईवे पर खुलने वाले भूखण्डों का न्यूनतम सैटबैक 30 मीटर रखे जाने का उल्लेख है। राज्य के कई नगरों के मास्टर प्लान में उक्त प्रावधान का उल्लेख है।

विभागीय आदेश दिनांक 25.03.2013 के बिन्दु सं. 4 के अनुसार, "आई.आर.सी. कोड की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित होने पर प्लान्टेशन कॉरीडोर में पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय किये जा सकते है।" का प्रावधान है।

उपरोक्त स्थिति को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि राजमार्ग के दोनों ओर सड़क के मार्गाधिकार के पश्चात् मास्टर प्लान में उल्लेखित चौड़ाई तक हाईवे कन्ट्रोल एरिया रखा जाकर राजमार्ग पर खुलने वाले भूखण्डों का न्यूनतम अग्र सैटबैक 30 मीटर रखा जाना अनिवार्य है। मास्टर प्लान में कुछ भी उल्लेख होने पर भी हाईवे कन्ट्रोल बैल्ट(प्लान्टेशन कॉरीडोर) में पेट्रोल पम्प सड़क के मार्गाधिकार के पश्चात् ही अनुज्ञेय है।

पेट्रोल पम्पों के प्रकरणों में मास्टर प्लान में कुछ भी उल्लेख होने पर भी हाईवे कन्ट्रोल बैल्ट(प्लान्टेशन कॉरीडोर) में पेट्रोल पम्प सड़क के मार्गाधिकार के पश्चात ही अनुज्ञेय है तथा अग्र सैटबैक 30 मीटर के स्थान पर MoRTH के प्रावधानानुसार रखना होगा। पेट्रोल पम्प के लिये आवश्यक गहराई के पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखना अनिवार्य होगा। राजमार्ग से प्रश्नगत भूखण्ड तक प्रवेश व निकास 12 मीटर चौड़ा रखा जावेगा।

यह आदेश पूर्व मे स्वीकृत व अनुज्ञेय पैट्रोल पम्पों पर लागू नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

20/4/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक